



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1935 (श०)

(सं० पटना 641) पटना, सोमवार, 12 अगस्त 2013

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 जुलाई 2013

सं० वि०स०वि०-16/2013-4986/वि०स०।—“बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 जुलाई, 2013 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

फूल झा,

प्रभारी सचिव

बिहार विधान-सभा।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

[विंस०वि०-15/2013]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना -चौंकि, राज्य के शैक्षणिक हित में राज्य में कुलपति एवं प्रति-कुलपति के पद पर नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित समस्त मानक प्रावधानों के अनुकूल; और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है,

और, चौंकि, कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता और सामंजस्य का होना आवश्यक है,

और, चौंकि, पूर्व में कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति बिना राज्य सरकार के साथ प्रभावी परामर्श के किया गया है,

और, चौंकि, विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा नियुक्त कुलपति और प्रतिकुलपति के कामकाज पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है,

और, चौंकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 तथा यथा अद्तन संशोधित विनियम 2013 में कुलपति का चयन सर्च कमिटी के माध्यम से किये जाने का उल्लेख किया गया है,

और, चौंकि, नियमित कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्नियम और न्यूनतम मानकों में उत्कृष्टता प्रदान करते हुए शीघ्रातिशीघ्र किया जाना उच्च शिक्षा के हित में समीचीन प्रतीत हो रहा है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. प्रक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-10 का संशोधन।-बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976

(बिहार अधिनियम-23, 1976) की धारा-10 की उप-धारा-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा यथा :-

“(1) (i) सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्ति विद्यात शिक्षाविद्, होने चाहिए, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालयी प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध एवं/ अथवा अकादमिक प्रशासनिक संस्था में समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव हो ।

- (ii) कुलपति का चयन 3-5 प्रथ्यात् सदस्यों की नामसूची द्वारा किया जाएगा, जिसे एक सर्व-समिति द्वारा एक सार्वजनिक सूचना या नामांकन या एक टेलेंट सर्व प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिये चिन्हित किया जाएगा। उपर्युक्त सर्व समिति के सदस्य, उच्च शिक्षा क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा वे किसी भी रूप में संबद्ध विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे। सर्व समिति द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता को उचित महत्व देते हुए देश-विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्यापन कार्य की योग्यता तथा अकादमिक या प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा तथा इसे लिखित रूप में पैनल सदस्यों की सूची के साथ कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) सर्व कमिटी का गठन निम्नलिखित रूप में होगा :-
- (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य, जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय रूप से विभूषित शिक्षाविद् होगा जो इसका अध्यक्ष होगा।
- (ख) कुलाधिपति द्वारा सदस्य के रूप में नामित राष्ट्रीय रूप से विभूषित शिक्षाविद् होगा जो इसका अध्यक्ष होगा।
- (ग) राज्य सरकार के द्वारा एक विख्यात विद्यानुरागी को जिन्हें राज्य के उच्च शिक्षा की शैक्षणिक संरचना तथा उसकी समस्याओं की पूर्ण जानकारी हो, को सदस्य के रूप में नामित किया जायगा।”

3. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-12 का संशोधन।- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976

(बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा-12 की उप-धारा-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :-

“(1) कुलपति की नियुक्ति के लिए यथा विहित रीति से ही, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा प्रतिकुलपति नियुक्त किया जायगा।”

उद्देश्य एवं हेतु

देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, कुलपति एवं कठिपय अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए यू०जी०सी० अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन गठित एवं परिचालित रेगुलेशन में न्यूनतम विहित अहताओं तथा प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। कुलपति एवं प्रतिकुलपति के नियुक्ति से संबंधित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के संगत धाराओं को तदनरूप संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के संगत धाराओं को संशोधित किया जाना है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित करना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

(पी०के० शाही)

भारसाधक सदस्य

पटना :

दिनांक 30 जुलाई, 2013

फूल झा,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान—सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 641-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>